**FORM NO-III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः–अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

सरकार बनाम राधेश्याम मित्तल

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र मिसल नम्बर 5 / 2024

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006

2024/25

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.1.2024 | प्रार्थी सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(2) एफ.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्राथी को नोटिस जारी कर तलबी की जावे। पत्रावली दिनांक. 8.2.2024 को पेश हो।<br>[signature]<br>अति0 जिला कलेक्टर<br>कोटा | नोटिस 1007 / 23.1.24 |
| 8.2.2024 | पेशकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। P.O. अन्य राजकार्य मे व्यस्त होने से पत्रावली ~~प्रविवत~~ दिनांक 29/2/2024 को पेश हो। | [signature] 8/2/2024<br>[signature] |
| 29.2.2024 | पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी की तलबी व्यक्तिगत मे पुनः की जाकर पत्रावली दिनांक 21/3/2024 को पेश हो। [signature] | ~~[signature]~~<br>[signature] |
| 21/3/2024 | पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। P.O. पुनः राजकार्य मे व्यस्त होने से पत्रावली प्रविवत दिनांक 2/5/2024 को पेश हो। [signature] | |
| 2/5/2024 | पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 23/5/2024 को पेश हो। [signature] | |

उनवान → जकोटा v/s राधेश्याम

23.5.2024

2

पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी उपस्थित।** अप्रार्थी की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) मावा का विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः अप्रार्थी श्री राधेश्याम मित्तल पुत्र श्री गोबरीलाल जी खाद्यकारोबारकर्ता, एवं प्रोपराईटर मैसर्स–अग्रवाल नमकीन भण्डार गांधी चौराहा सांगोद जिला कोटा पर 7000/– रूपये (अक्षरे सात हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **संदीप अग्रवाल** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति. जिला कलक्टर
कोटा